7

अध्याय

कोयला वितरण एवं विपणन

कोयला वितरण एवं विपणन

सीआईएल का विपणन प्रभाग इसकी सभी सहायक कोयला उत्पादक कंपनियों के विपणन कार्यकलापों की आयोजना, समन्वय एवं मानीटरिंग करता है । विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल राज्य की राजधानियों में क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों का नेटवर्क है।

विद्युत, सीमेंट और इस्पात संयंत्रों को कोयले का आवंटन

वर्ष 2014 – 15 (अप्रैल,14 – दिसम्बर, 2014) के दौरान तथा शेष अवधि (जनवरी,15 से मार्च, 2015) के लिए अनुमानित क्षेत्रवार कोयला उठान इस प्रकार है।

➢ कोल इंडिया लि0

(अनंतिम) (मिलियन टन में)

क्षेत्र	लक्षित उठान	वास्तविक उठान	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति का :	लक्षित उठान	वास्तविक उठान	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति का :
इस्पात*	5.20	4.92	95%	1.91	1.75	92%
विद्युत (उपयोगिताएं)**	293.69	280.38	95%	111.31	107.48	97%
कैप्टिव पावर	24.66	20.83	84%	9.11	6.80	75%
सीमेंट	5.29	4.04	76%	1.92	1.54	80%
उर्वरक	1.78	1.62	91%	0.65	0.56	87%
स्पांज आयरन	6.78	5.40	80%	2.51	1.81	72%
अन्य	38.94	37.14	95%	15.85	14.44	91%
कुल प्रेषण	376.34	354.33	94%	143.25	134.39	94%
कोलि. उपभोग	0.31	0.33	106%	0.10	0.10	102%
कुल	**376.65**	**354.66**	**94%**	**143.35**	**134.50**	**94%**

* इसमें वाशरियों को फीड किया गया कोकिंग कोयला, सीधा फीड, इस्पात संयंत्रों को ब्लेन्डेबल, कोक ओवन, प्राइवेट कोकरीज और कोकरीज को एनएलडब्ल्यू कोयला शामिल हैं।

** इसमें परिष्करण के लिए वाशरी और बीना डिशेलिंग संयंत्र को फीड करने के लिए कोकिंग तथा नानकोकिंग कोयला शामिल हैं।

एससीसीएल

(अंनतिम) (मिलियन टन में)

क्षेत्र	अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014	अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013	वृद्धि (%)	जन., 2015 से मार्च, 2015	प्रत्याशित कुल
विद्युत (उपयोगिता और सीपीपी)	30.00	25.98	15.47	11.80	41.80
इस्पात (स्पांज आयरन)	0.27	0.26	3.85	0.11	0.38

क्षेत्र	अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014	अप्रैल, 2013 से दिसम्बर, 2013	वृद्धि (%)	जन., 2015 से मार्च, 2015	प्रत्याशित कुल
सीमेंट	3.46	3.71	(-) 6.73	1.50	4.96
उर्वरक	-	-	-	-	-
अन्य	4.51	4.31	4.64	1.57	6.08
कोलियरी उपयोग	0.04	0.03	33.33	0.02	0.06
कुल	38.28	34.29	11.64	15.00	53.28

- अप्रैल, 2014– दिसम्बर, 2014 के दौरान तापीय विद्युत गृहों द्वारा सीआईएल से कोयले का उठान 280.38 मिलियन टन था जो कि लक्ष्य का 95% की प्राप्ति थी । गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उठान में 24.28 मिलियन टन अर्थात 9. 5% की वृद्धि हुई है। अप्रैल, 2014– दिसम्बर, 2014 के दौरान एससीसीएल से तापीय विद्युत स्टेशनों द्वारा वास्तविक कोयले का उठान 30.00 मिलियन टन है जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 25.98 मि0टन था। वर्ष 2014–15 के दौरान एस सी सी एल से थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा उठाए गए कोयले की अनुमानित मात्रा लगभग 41.80 मि.ट. है।
- अप्रैल, 2014– दिसम्बर, 2014 के दौरान सीआईएल से सीमेंट संयंत्रों को प्रेषण पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 4.04 मिलियन टन की तुलना में 3.93 मिलियन टन (अनंतिम) था। अप्रैल, 2014– दिसम्बर, 2014 के दौरान एससीसीएल से सीमेंट संयंत्रों को वास्तविक प्रेषण पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 3.46 मि0टन की तुलना में 3.71 मि0टन है। वर्ष 2014–15 के दौरान एस सी सी एल से सीमेंट संयंत्रों को कोयलें का अनुमानित प्रेषण 4.96 मि.ट. है।

➢ परिवहन के साधन

सीआईएल में कोयले और कोयला उत्पादों के परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, मैरी–गो–राउंड पद्धति (एमजीआर), कन्वेयर बैल्ट और मल्टी माडल रेल एवं समुद्री मार्ग हैं । अप्रैल, 2014– दिसम्बर, 2014 के दौरान इन परिवहन साधनों से कोयला तथा कोयला उत्पादन की कुल आवाजाही का शेयर निम्नवत है:

क्र.सं.	परिवहन के साधन	शेयर %
1	रेलवे (रेलवे एवं समुद्री सहित)	56.0
2	सड़क	24.0
3	एमजीआर	18.0
4	बैल्ट कन्वेअर्स / रोपवेज	2.0

एससीसीएल

क्र.सं.	परिवहन के साधन	शेयर %
1	रेलवे (आरसीआर ससहित)	64.66
2	सड़क	20.00
3	एमजीआर	14.22
4	रोप	1.12

➢ लिंकेज प्रणाली का स्थान ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) ने ले लिया है। अक्टूबर, 2007 में एनसीडीपी लागू होने के पश्चात मौजूदा उपभोक्ताओं के साथ 2008 में एफएसए संपन्न किए गए। इन एफएसए का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए था, अधिकांश एफएसए समाप्त हो गए हैं तथा नवीनीकरण की प्रक्रिया में हैं। दिस. 2014 तक विद्युत कंपनियों के वर्ग को छोड़कर, कोयला कंपनियों के साथ 818 उपभोक्ताओं के पास वैध एफएसए है ।

एनसीडीपी के अंतर्गत दिसम्बर, 2014 (अनंतिम) तक संपन्न एफएसए की क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है:–

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

पुराने मौजूदा उपभोक्ता (विद्युत उपयोगिताओं को छोड़कर)	कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों के साथ उपभोक्ताओं की एफएसए की संख्या
सीपीपी	126
स्पांज आयरन	162
सीमेंट	43
कागज	36
एल्युमिनियम	2
ब्रिकेट	19
एसएसएफ	44

कोकरीज	140
अन्य	246
कुल सीआईएल	818

- वर्ष 2009 की स्थिति के अनुसार 127 एफएसए संपन्न कर लिए गए हैं ।
- एलओए को जारी करने के लिए एसएलसी (एलटी) की सिफारिशों में से, मार्च, 2014 तक विद्युत, स्पांज आयरन तथा सीपीपी एवं सीमेंट क्षेत्र में कुल 595 नए उपभोक्ताओं ने सीजी प्रस्तुत किया था तथा आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु उन्हें एलओए जारी किया गया था। उनमें से 452 ईकाइयों ने एफएसए संपन्न किए। अन्य एलओए पूरा किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं ।
- लघु और मध्यम उपभोक्ता क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित एजेंसियों को आवंटन के लिए सीआईएल द्वारा 8 मिलियन टन कोयला निर्दिष्ट किया गया है। 31 दिसम्बर, 2014 तक वर्ष 2014–15 के लिए 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी 17 राज्य एजेंसियों के नामांकन भेजे हैं, जिनमें से 14 राज्य एजेंसियों ने 3.352 मिलियन टन के लिए एफएसए संपन्न किया है ।
- कोयला आपूर्तिकर्ता कंपनियों की ओर से इच्छुक टीपीपीएस को राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार नए विद्युत संयंत्रों के साथ उपबंधों के अधीन सीआईएल ने आयातित कोयले की आपूर्ति का प्रबंध किया था। केवल 3 टीपीपीएस ने वर्ष 2014–15 के दौरान सीआईएल के जरिए लगभग 5 लाख टन मात्रा के लिए आयात आपूर्तियों का विकल्प दिया है।
- दिनांक 17.7.2013 के राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार सीआईएल को 78555 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 172 टीपीपी के साथ एफएसए संपन्न करना था। 31.01.2015 तक 73675 मेगावाट की कुल क्षमता तथा 223.52 मि.ट. की वार्षिक संविदागत मात्रा के लिए विद्युत संयंत्रों के साथ कुल 161 एफएसए संपन्न किए गए हैं। तथापि, उक्त क्षमता में से 57,730 मेगावाट की क्षमता वाले टीपीपी ने दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) किए हैं तथा चालू होने की शर्तो आदि पर कोयला आपूर्ति शुरू करने के लिए पात्र हैं।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

क्षेत्र	लिंक्ड उपभोक्ताओं की संख्या	संपन्न एफएसए की संख्या
विद्युत (प्रमुख)	4	4
सीपीपी	31	31
स्पांज आयरन	26	26
सीमेंट	46	46
अन्य	383	383

एससीसीएल ने एसएलसी(एलटी) द्वारा अनुशंसित 28 यूनिटों के लिए एलओए जारी किए हैं :

- सीमेंट यूनिटों के साथ एलओए को एफएसए में परिवर्तित किया गया – 9
- केप्टिव विद्युत संयंत्र के साथ एलओए को एफएसए में परिवर्तित किया गया – 13
- एफएसए में परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है – 2
- लागत जमा के अंतर्गत एलओए जारी करने के लिए अनिच्छुक यूनिटें – 4

➢ लघु तथा मध्यम उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण:

- एनसीडीपी के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4200 मि.ट. प्रति वर्ष तक की आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं को कोयला वितरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से कोयले का वितरण किया जाना है। राज्यों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से वितरण हेतु वार्षिक रूप से कुल 8 मिलियन टन निर्धारित किया गया है जो संबंधित कोयला कंपनियों के साथ एफएसए संपन्न करने के पश्चात कोयला ले सकेंगे।
- इन एजेंसियों से वसूला गया मूल्य अधिसूचित मूल्य होगा जैसा कि एफएसए करने वाले अन्य उपभोक्ताओं पर लागू है। एजेंसी अपने उपभोक्ताओं से कोयला कंपनी द्वारा वसूले गए आधार मूल्य के अलावा वास्तविक भाड़ा तथा सेवा शुल्क के रूप में 5% मार्जिन तक वसूल करने की हकदार होगी।

31.12.2014 की स्थिति के अनुसार एनसीडीपी के अंतर्गत राज्य एजेंसियों के साथ एफएसए

1	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सं.	35
2	उन राज्यों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2013–14 के लिए एजेंसियां नामित कीं	12
3	राज्यों/नामित एजेंसियों को आबंटित मात्रा (लाख टन में)	36.90
4	अब तक एफएसए के अंतर्गत कोयला प्राप्त कर रहे राज्यों की संख्या	11
5	एफएसए के अंतर्गत शामिल एसीक्यू (लाख टटन)	33.52

➢ कोयले की ई–नीलामी

सीआईएल में ई–नीलामी

एनसीडीपी प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक माह बाजार आधारित मूल्यों पर इलेक्ट्रानिक नीलामी (ई–नीलामी) के माध्यम से कोयला भी नियमित रूप से बेचा जा रहा है। ई–नीलामी दो प्रकार की होती है स्थल पर ई–नीलामी और फारवर्ड ई–नीलामी। स्थल पर ई–नीलामी सभी वर्गों के क्रेताओं के लिए है। फारवर्ड ई–नीलामी के मामले में केवल अन्त्य उपयोगकर्ता/वास्तविक उपभोक्ता भाग लेने के लिए पात्र होते हैं और उनके पास एक वर्ष से अधिक समय की सुनिश्चित आपूर्ति होती है। प्रत्येक फारवर्ड ई–नीलामी 12 महीने की होगी जिसमें 3 महीने की चार तिमाहियां होंगी। उपभोक्ताओं के पास किसी एक तिमाही की अथवा एक बार में सभी चार तिमाहियों के लिए बोली लगाने की छूट होगी। बोलीकर्ताओं/उपभोक्ताओं को आरक्षित मूल्य अथवा उससे अधिक मूल्य पर बोली लगानी होती है। हालांकि स्थल ई–नीलामी नवम्बर 2007 से लागू है, फारवर्ड ई–नीलामी अगस्त, 09 से आरंभ हुई है। ई–नीलामी के अंतर्गत सीआईएल की कोयला कंपनियों को अनुमानित वार्षिक उत्पादन के लगभग 10% की पेशकश की जाएगी। एनसीडीपी के कार्यान्वयन के पश्चात ई–नीलामी का कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है :

	स्थल पर ई नीलामी			फारवर्ड ई नीलामी		
	अप्रैल 12–दिस. 12	अप्रैल 13–मार्च, 14	अप्रैल 14–दिस. 14	अप्रैल 12–दिस. 12	अप्रैल 13–मार्च, 14	अप्रैल 14–दिस. 14
बोली लगाने वालों की संख्या	83653	84485	54115	346	354	113
सफल बोली लगाने वालों की संख्या	48115	50937	28637	256	239	78
पेशकश की गई कुल मात्रा (लाख टन)	524.32	688.62	300.53	86.78	78.80	26.26
आबंटित की गयी कुल मात्रा (लाख टन)	442.56	581.25	278.64	49.61	40.94	9.94
कुल आबंटित मात्रा का अधिसूचित मूल्य (करोड़ रू. में)	7436.55	9281.04	4290.43	656.63	444.46	225.85
कुल आबंटित मात्रा का बोली मूल्य (करोड़ रू. में)	11148.52	12767.06	7184.68	825.50	621.55	265.52
अधिसूचित मूल्य पर % वृद्धि	49.9	37.6	67.5	25.7	39.8	17.6

अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014 के दौरान कंपनीवार स्थल ई–नीलामी

(अनंतिम) (आंकड़े लाख टन में)

कंपनी	पेशकश की गयी मात्रा	आबंटित मात्रा	अधिसूचित मूल्य पर : वृद्धि
ईसीएल	9.61	9.42	61.4
बीसीसीएल	14.55	13.75	87.6
सीसीएल	45.98	43.60	67.5
एनसीएल	19.96	19.96	79.1
डब्ल्यूसीएल	31.36	27.88	43.5
एसईसीएल	84.31	77.98	68.6
एमसीएल	93.20	85.05	76.6
एनईसी	1.57	1.02	10.3
सीआईएल	300.53	278.64	67.5

एससीसीएल

एससीसीएल ने कोयले की स्थल ई–नीलामी दिसम्बर, 2007 में आरंभ की है। अप्रैल, 2013 से दिसंबर, 2014 तक की अवधि के दौरान स्थल ई–नीलामी के माध्यम से एससीसीएल द्वारा बेचे गए कोयले का ब्यौरा निम्न् प्रकार से है :

कंपनी	पेशकश की गई मात्रा मात्रा	बेची गई मात्रा	अधिसूचित मूल्य पर % वृद्धि
एससीसीएल	32.99 एलटी	23.01 एलटी	25

एससीसीएल फारवर्ड ई–नीलामी नहीं कर रहा है ।

➢ कोयले का आयात

- वर्तमान आयात नीति के अनुसार उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार और वाणिज्यिक सूझबूझ का उपयोग करते हुए, स्वयं ही स्वतंत्र रूप से (खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत) कोयले का आयात कर सकते हैं।

- भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) तथा दूसरे इस्पात क्षेत्र के विनिर्माताओं द्वारा कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है। यह मुख्यतः आवश्यकता तथा घरेलू उपलब्धता के मध्य अंतर को दूर करने तथा क्वालिटी को सुधारने के लिए किया जाता है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र, सीमेंट, संयंत्र, केप्टिव विद्युत संयंत्र, स्पांज आयरन संयंत्र, औद्योगिक उपभोक्ता तथा कोयला व्यापारी नान कोकिंग कोयले का आयात कर रहे हैं। कोक का आयात मुख्यतः कच्चा कोयला विनिर्माताओं तथा मिनीब्लास्ट फरनेस का उपयोग करने वाले लोहा तथा इस्पात क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है।
- दिनांक 11.07.2014 के अधिसूचना संख्या 12/2014–कस्टम (तालिका का क्रम सं0 123) के स्टीम कोयले पर आज की स्थिति के अनुसार 2.5 % की दर से बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) और 2 % की दर से काउंटर वेली शुल्क (सीवीडी) लगाया जाता है।
- हालांकि कोयले को ओजीएल के अंतर्गत शामिल किया जाता है फिर भी कोयला आपूर्तिकर्त्ता कंपनियों की ओर से इच्छुक टीपीपीएस को राष्ट्रपति के निर्देशों के रूप में नई विद्युत संयंत्रों सहित एफएसए के प्रावधानों के अंतर्गत सीआईएल द्वारा आयातित कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2014–15 के दौरान लगभग 5 लाख टन कोयले के लिए सीआईएल के माध्यम से केवल तीन टीपीपीएस ने आयातित कोयले की आपूर्ति का विकल्प दिया है।

2006–07 से 2013–14 के दौरान कोयले का आयात :

(मिलियन टन में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कोकिंग कोयला	17.88	22.03	21.08	24.69	19.48	31.80	35.56	37.19
नॉन–कोकिंग कोयला	25.2	27.76	37.92	48.57	49.43	71.05	110.23	131.25
कोक	4.69	4.25	1.88	2.36	1.49	2.36	3.08	4.19
कुल आयात	47.77	54.04	60.88	75.62	70.4	105.21	148.87	172.63

(**स्रोतः** अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2013 – 14 कोयला नियंत्रक संगठन)

➢ कोयला उपभोक्ता परिषद

क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषदों की स्थापना उपभोक्ताओं की शिकायतों की मॉनीटरिंग तथा निवारण करने के लिए प्रत्येक कोयला कंपनी में की गई है । इसके अलावा, सीआईएल में स्थापित राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद ऐसे मामलों में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है । यदि शिकायतों पर जबाब एक माह के भीतर प्राप्त नहीं होता है अथवा शिकायतकर्त्ता कोयला कंपनी द्वारा दिए गए जबाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उस मामले को राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद के पास भेजा जाता है।

सीआईएल ने उपभोक्ताओं के शिकायतों का प्रभावी रूप से निवारण करने के उद्देश्य से ऑन लाइन शिकायत निवारण तंत्र ओएलजीएमएस लागू किया है जो सीआईएल की वेबसाइटों के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने के लिए सभी क्रेताओं को पहुंच प्रदान करता है ।